

14.08.18

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। जिल्लाधीश की अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगाकर यह शर्मा पत्र पेश किया गया था. उनका (आंतरण अन्यत्र हो गया है। अतः यह मुंतखिल शर्मा पत्र प्रभावहीन हो जाने के कारण खारिज किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की जाने के साथ भिन्नगई जावे। पत्रावली फंसल शुभार होकर बाद तकनील दाखिल इफ्तार हो।


जिला कलक्टर
करौली